



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19653

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या – 1093/2026

कुमारी वंदना श्रीवास्तव.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:दिनेश कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता:मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सिंह और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय की दलीलें सुनी गईं।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता के पिता कृष्ण मुरारी लाल, जो उपजिलाधिकारी के पद पर कार्यरत थे, वर्ष 2015 में सेवानिवृत्त हुए और दिनांक 11.05.2016 को उनका निधन हो गया; उनकी माता का भी दिनांक 15.01.2018 को निधन हो गया; और रिट याचिकाकर्ता उनकी अविवाहित पुत्री हैं।
3. वर्तमान याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को पारिवारिक पेंशन के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय सर्वप्रथम तीसरे प्रतिवादी, यानी अपर भूमि सुधार आयुक्त (लेखा), राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश (पेंशन प्रकोष्ठ), लखनऊ द्वारा किया जाना आवश्यक है।
5. इस निवेदन पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है।
6. दोनों पक्षों के निवेदनों और उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन तीसरे प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत करें। तीसरा प्रतिवादी, अभ्यावेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय विधि के पूर्णतः अनुरूप, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



करेगा। यदि तीसरे प्रतिवादी की यह राय बनती है कि इस मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, तो वह संबंधित कागजात उस प्राधिकारी को प्रेषित कर देगा, ताकि पात्रता, उपयुक्तता और (यदि कोई हों तो) प्रतिस्पर्धी दावों के आधार पर निर्णय लिया जा सके। 7. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना ही कर दिया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार किया है।

8. उपर्युक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

29 जनवरी, 2026

आशु

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”